File No. MCDR-MCFDQLENTFIZ0128072.27A451012128HAJINAOBANJNRQCAJMputer No. 2648)

1/29972/2024 1/29972/2024

Violation letter/उल्लंघन पत्र (Speed post/ त्रिव डाक)

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्युरो

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय माखुपुरा ओद्योगिक क्षेत्र, अजमेर ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in





Government of India Ministry of Mines Indian Bureau of Mines Office of the Regional Controller of Mines. Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002 Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

दिनांक: 18/04/2024

संख्या: 2648-MCDR-MiFL0LST/7/2022-AJM-IBM RO AJM

प्रेषित: खान ऐजेंट

मारवाड मुंडवा-1 चूनापत्थर खान, मै. अम्बुजा सीमेंटस् लिमिटेड,

पोस्ट मारवाड मुंडवा जिला नागौर (राज.)

पिन 341026

इमेल: (Chetan.raval@adani.com, shrimali@adani.com, md.office@adani.com)

विषय : राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित आपकी मारवाड मुंडवा-1 चूनापत्थर खान क्षेत्रफल 699.90 हेक्टेयर (एमएल संख्या 111 / 2007) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन । महोदय.

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 07.12.2023 by undersign in presence of Shri. Mayur Bhalchandra Potkatare, Geologist of your Mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operation has not been carried out in accordance to the Modification in RMP
	approved on 21/06/2022 and Review Mining Plan approved on 22/12/2022 to the extent
	given below for the year 2022-23:
	(1) During the inspection it has been observed that in the working pit at some places the
	bench geometry is not as per proposals in approved document. The max. height of
	bench should not exceed 6 meters as approved.
	(2) The top soil has not been stored separately.
	(3) Retaining wall/Garland drain around dumps has not been constructed as per proposal.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आर्कषित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंर्तगत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली ,2017 के अंर्तगत:

- (क) आपकी खान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(पंकज कुलश्रेष्ठ) सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि स्चनार्थ प्रेषितः

- 1. खान नियंत्रक (उ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
- 2. निदेशक , खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर
- 3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जिला– नागौर।
- रक्षित पत्रावली ।

सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर